16/5/18 पत्रावली अन्तर्गत धारा 145 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रेषित हुई। बाद 2 आवाजें लगाने के बावजूद भी न तो प्रार्थी स्वयं उपस्थित है तथा न ही वादी/प्रार्थी की तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी के खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्धारित खर्चा इजलास पक्ष केस के चुकाया जाता।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner